उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-84/2015/4080/62-2-2015-1295/1990
लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई,,2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री ए0के0 श्रीवास्तव,, अधिशासी अभियंता, (मुख्यालय) लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को, शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4080/62-2-2015-1295/1990, दिनांक 25-6-2015 द्वारा नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन के पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से दिया गया है। श्री आर0सी0 पाल0, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, बरेली के दिनांक 31-7-2015 को सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप रिक्त हो रहे अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, बरेली का भी अतिरिक्त प्रभार अत्यन्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री ए0के0 श्रीवास्तव,, अधिशासी अभियंता, (मुख्यालय) लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशो अथवा नियमित तैनाती होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ह0/
राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

सं0-84/2015/4080(1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- संबंधित मणलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
6- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
7- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in